न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : (459/18) 165/19

–:: प्रार्थी ::–

1. नेमादेवी पत्नी रामपाल
2. रामनिवास पुत्र रामपाल
3. अशोक पुत्र रामपाल
4. तूफान पुत्र रामपाल
5. इन्द्रादेवी पुत्री रामपाल

जाति–बावरी,
निवासी–मुण्डावा,
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
राज.।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. रामपाल पुत्र घेवरराम
   जाति–बावरी निवासी–मुण्डावा,
   तहसील–जैतारण
2. प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, शाखा–बलाड़ा
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली
   राज.।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 01/11/2018

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री देवेन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः 27/02/2020

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल संख्या 04 तूफान नाबालिग है जिसकी कुदरती वली उसकी माता नेमादेवी है। सायल संख्या 04 के हित उसकी माता में निहित है इसलिए उसकी और से उसकी माता वली बनकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही हैं, जिसकी अनुमती बाबत अलग से प्रार्थना पत्र पेश है। सायलान एवं गैरसायलान रामपाल एक ही परिवार के सदस्य है तथा घेवरराम के वारिसान है तथा गैरसायल संख्या 01 के सायल संख्या 01 पत्नी सायल संख्या 02 से 4 पुत्रान व 05 पुत्री है। सरहद मौजा–मुण्डावा पटवार हल्का–घोड़ावड़ में गैरसायलान संख्या 01 व अन्य खातेदारान की कृषि भूमि खसरा नबर 54 रकबा 9–01 बीघा, खसरा नंबर 65 रकबा 8–11 बीघा, खसरा नंबर 67 रकबा 11–13 बीघा, खसरा नंबर 143 रकबा 3–07 बीघा कुल रकबा 32–12 बीघा आई हुई है। सरहद मौजा मुण्डावा पटवार हल्का घोड़ावड़ में गैरसायलान संख्या 01 व अन्य खातेदारान की अन्य कृषि भूमि खसरा नंबर 48 रकबा 47–18 बीघा, खसरा नंबर 49 रकबा 11–16 बीघा, खसरा नंबर 50 रकबा 5–05 बीघा, खसरा नंबर 66 रकबा 23–09 बीघा, खसरा नंबर 88 रकबा 14–12 बीघा, खसरा नंबर 95 रकबा 0–03 बीघा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

ग़ैर मु. बेरा, खसरा नंबर 191 रकबा 9-03 बीघा, खसरा नंबर 196 रकबा 2-10 बीघा, खसरा नंबर 197 रकबा 11-10 बीघा कुल रकबा 126-06 बीघा आई हुई है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 व 04 में दर्ज भूमि में अन्य खातेदार काश्तकार के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं होने से उन्हें इस प्रार्थना पत्र में बतौर गैरसायल पक्षकार नहीं बनाया। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 व 04 में दर्ज कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी है, जिसमें सायलान का जन्म लेते ही हक व अधिकार पैदा हो जाते है, तथा सायलान का गैरसायल संख्या 01 के जीवनकाल में ही उक्त भूमि में अधिकार तथा बंटवाड़ा व अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारीहै। यदि पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि में सायलान का नाम इन्द्राज नहीं होता है तो सायलान अपने हक व अधिकारों से महरूम होंगे। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी होने बाबत सायलान ने अपने दादा घेवरराम पुत्र मोडाराम के नाम की जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 की पेश है जिससे भी साबित है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पैतृक पुश्तैनी है। गैरसायल संख्या 01 जो की सायलान संख्या 01 का पति व सायलान संख्या 02 से 05 के पिता है। जिसने प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर गैरसायलान संख्या 02 के यहा रहन रखकर ऋण लिया। जिसका चुकारा भी आज दिन तक नहीं किया। गैरसायल रामपाल पिछले 05 वर्षो से शराब पिता है तथा कोई कृषि काम मजदूरी आदि नहीं करता है। सायलान को अपने गांव मुण्डावा से निकाल दिया है सायलान पिछले 05 वर्षो से मजदूरी कर ब्यावर में निवास करते है गैरसायल संख्या 01 ने अपने द्वारा लिये गये ऋण को नहीं चुकाने पर गैरसायल संख्या 02 द्वारा उसके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को नीलाम करने बाबत आदेश भी प्राप्त कर लिया, सायल संख्या 01 को प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि बाबत नीलामी के आदेश की जानकारी दिनांक 05.09.2018 को हुई तब सायल संख्या 01 ने गैरसायल संख्या 02 के यहां दिनांक 04.10.2018 को ऋण राशि 25000/- रूपये जमा भी करवाई। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो पैतृक पुश्तैनी भूमि है, जिसमें सायलान को गेरसायलान संख्या 01 के हक हिस्से की भूमि में हक व अधिकार है, सायलान ने गैरसायल संख्या 02 को यह भी निवेदनल किया कि यदि मेरे द्वारा ऋण राशि को किस्तों में चुकारा करने पर सायल का नाम गैरसायलसंख्या 01 के स्थान पर दर्ज कर सकते हो तब उन्होने स्पष्ट मना कर दिया। व कहा कि हम मात्र रहन मुक्त का प्रमाण पत्र ही दे सकते है। सायलान ने दिनांक 04.10.2018 को गैरसायलान को उक्त भूमि में माफिक हिस्सेनुसार नाम दर्ज करवाने को कहा तो गैरसायलान स्पष्ट इन्कार हुये, इतना ही न ही गैरसायलान ने उक्त भूमि को नीलाम बैचान हस्तान्तरण व कब्जा काश्त से बेदखल करने की धमकी दी तब सायलान ने यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया व सायलान ने राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में सायलान का कानूनन हक व अधिकार होने

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

से गैरसायल संख्या 01 के हक हिस्से की भूमि में उनका जितना हिस्सा बनता है उसमें अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। यदि गैरसायल संख्या 01 के साथ सायलान के हिस्से की भूमि भी नीलाम हो जाती है तो सायलान पैतृक पुश्तैनी भूमि से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेंगे, इसलिए सायलान ने यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में सायलान का माफिक हिस्सेनुसार कब्जा काश्त है तथा पैतृक पुश्तैनी भूमि नीलाम हो जाती है तथा मात्र जमाबन्दी में नाम इन्द्राज होने के आधार पर गैरसायल संख्या 01 बैचान हन्तांतरण आदि कर देता है व सायलान को उनके कब्जे से बेदखलकर देते है तो सायलान को असीम हानि होगी, जिसकी क्षति पूर्ति किसी सूरत में संभव नहीं होगीतब सायलान ने यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व जमाबन्दीया पेश कर निवेदन है कि पद संख्या 03 में दर्ज कृषि भूमि खसरा नंबर 54, 65, 67, 143 कुल रकबा 32-12 व पद संख्या 04 में दर्ज कृषि भूमि खसरा नंबर 48, 49, 50, 66, 88, 95, 191, 196, 197 कुल रकबा 126-06 बीघा में सायलान के हक हिस्से की भूमि को गैरसायलान बैचान, हस्तांतरण, नीलाम आदि नहीं करें। जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे व सायलान के हक हिस्से की भूमि में काश्त के मुतालिक कुल कार्य करें या करावे उसमें गैरसायलान किसी प्रकार की दखल व दस्तन्दाजी नहीं करें या करावे। जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे व प्रार्थना पत्र की रुह से अन्य कोई सहायता हो दिलावें जावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 02 जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहते है अतः जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। उक्त प्रार्थना पत्र का निपटारा हम निम्न बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर करना उचित समझते हैं।

1- प्रथमदृष्ट्या मामला :- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथमदृष्ट्या मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को अनुतोष प्राप्त करनें का पर्याप्त आधार प्राप्त है।

उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण नेमादेवी पत्नी रामपाल, रामनिवास, अशोक और तूफान पुत्र रामपाल तथा इन्द्रादेवी पुत्री रामपाल ने

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 01 रामपाल पुत्र घेवरराम के हिस्से की पैतृक पुश्तैनी आराजी में अपने-अपने हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए हाजा न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया है और न ही किसी प्रकार की बहस की गई है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही उक्त प्रार्थना पत्र में अमल में लाई गयी। इससे प्रथमदृष्टतया यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण प्रतीत होता है कि उक्त आराजी पैतृक पुश्तैनी है तथा प्रार्थीगण ने पैतृक पुश्तैनी आराजी के लिए अस्थाई व्यादेश की मांग की है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि पैतृक पुश्तैनी आराजी होने से प्रथमदृष्टतया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

2- सुविधा का संतुलन :- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया गया तो प्रार्थीगण/वादीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं।

चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रथमदृष्टतया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है तथा पैतृक पुश्तैनी आराजी होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3-अपूरणीय क्षतिः- उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथमदृष्टतया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हुए हैं। चूंकि प्रार्थीगण ने उक्त आराजी भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को अस्थाई व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भलीभांती साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे ग्राम- मुण्डावा, पटवार हल्का- घोड़ावड़, तहसील- जैतारण, जिला-पाली के खसरा संख्या 54 रकबा 09-01 बीघा, खसरा नंबर 65 रकबा 8-11 बीघा, खसरा नंबर 67 रकबा 11-13 बीघा, खसरा नंबर 143 रकबा 3-07 बीघा, खसरा नंबर 48 रकबा 47-18 बीघा, खसरा नंबर 49 रकबा 11-16 बीघा, खसरा नंबर 50 रकबा 5-05 बीघा, खसरा नंबर 66 रकबा 23-09 बीघा, खसरा नंबर 88 रकबा 14-12 बीघा, खसरा नंबर 95 रकबा 0-03 बीघा, खसरा नंबर 191 रकबा 9-03 बीघा, खसरा नंबर 196 रकबा 2-10 बीघा, खसरा नंबर 197 रकबा 11-10 बीघा की आराजी के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन न करें एवं न ही उक्त आराजी का बेचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करें। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
फास्ट ट्रेक,जैतारण
जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 27/02/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
फास्ट ट्रेक,जैतारण
जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2020.03.03 10:37:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: